बिहार सरकार
उद्योग विभाग

<u>संकल्प</u>

विषयः– बुनकरों की समस्या के समाधान हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में कियान्वयन समिति का गठन।

बिहार राज्य में बुनकरों की दयनीय स्थिति के मद्देनजर भागलपुर में दिनांक–06.06.2010 को आयोजित बुनकर पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की गयी कि प्रमण्डल स्तर पर बुनकरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। अतः उक्त घोषणा के आलोक में निम्नलिखित रूप में कियान्वयन समिति का गठन किया जाता है:–

(क)	प्रमण्डलीय आयुक्त	अध्यक्ष
(ख)	निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना	सदस्य
(ग)	संबंधित प्रमण्डल के सभी जिला पदाधिकारी / आरक्षी अधीक्षक / अग्रणी बैंकों के पदाधिकारी / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
(घ)	प्रमण्डलीय मुख्यालय स्थित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र–	संयोजक सदस्य

(2) यह समिति प्रमण्डल के बुनकरों के समस्याओं का निदान स्थानीय स्तर पर करेगी। बुनकरों के कल्याणार्थ योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला योजना से भी सहयोग प्राप्त करेगी।

(3) समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में आहूत की जायेगी। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष की सहमति से आपात बैठक बुलाई जा सकती है। संयोजक सदस्य क्षेत्र की बुनकरों की समस्याओं से संबंधित जिलावार अभ्यावेदन संकलित कर कार्यावली के साथ बैठक में प्रस्तुत करेंगे। बैठक में समिति बुनकरों की समस्याओं के निराकरण हेतु यथोचित निर्णय लेगी। संयोजक सदस्य बैठक की कार्यवाही एवं बैठक में लिए गए निर्णयों से विभाग को अवगत करायेंगे।

(4) समिति से लाभार्थियों को लाभ देने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:–
प्रण्मडल के बुनकर अपनी समस्याओं का अभ्यावेदन संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को समर्पित करेंगे। महाप्रबंधक उन अभ्यावेदनों को संकलित कर संयोजक सदस्य को बैठक में प्रस्तुत करने हेतु स्पष्ट अपेक्षित कार्रवाई के साथ समर्पित करेंगे

तथा बैठक में लिए गए निर्णयों से आवेंदक को अवगत करायेंगे। यदि जिला स्तर पर लाभ तत्काल दिलाना सम्भव है तब एक माह के अन्दर कार्रवाई कर आवश्यक लाभ दिलाया जायेगा। यदि सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार तत्काल लाभ दिलाना सम्भव नहीं है, तब आवेदक को तुरन्त सूचित कर दिया जायेगा। ऐसे मामले को निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम संबंधित संयोजक सदस्य से प्राप्त कर उद्योग विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के समक्ष कार्रवाई हेतु उपस्थापित करेंगे। प्रमण्डलीय आयुक्त के स्तर पर बैठक में पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में ''ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट'' निश्चित तौर पर उपस्थापित किया जायेगा। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपने जिले के बुनकरों के समस्याओं का निदान व्यक्तिगत रूचि लेकर करायेंगे तथा समिति से लाभ दिलायेंगे। उन्हें यदि सरकारी नीति के कार्यान्वयन में लाभ दिलाने में असुविधा होती है, तब वे प्रमण्डलीय आयुक्त को यथाशीघ्र अवगत करायेंगे।

आदेशः आदेश दिया जाता है, कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1872 /पटना, दिनांकः– 09/9/10

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/सभी जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1872 /पटना, दिनांकः– 09/9/10

प्रतिलिपि– राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अगले राजपत्र में प्रकाशित हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1872 /पटना, दिनांकः– 09/9/10

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।